न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 53/2018 **दायरा दिनांक : 06.04.2018**

उनवान

बिशनी बाई पुत्री धन्नालाल पत्नी जानकीलाल, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बुखारी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान :–

1/1– भंवर लाल पुत्र बिशनी बाई, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बुखारी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

1/2– बद्रीलाल पुत्र बिशनी बाई, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बुखारी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

1/3– रामकिशन पुत्र बिशनी बाई, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बुखारी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

1/4– राम कुवार पुत्र बिशनी बाई, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बुखारी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

1/5– भूली बाई पुत्री बिशनी बाई, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बुखारी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

1/6– लाड बाई पुत्री बिशनी बाई, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बुखारी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

1/7– जानकी लाल पुत्र भैरू लाल पति बिशनी बाई, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बुखारी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– रामकरण पुत्र मोतीलाल, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बरेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2– मांगीलाल पुत्र कान्हा, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बरेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

3— काली बाई पुत्री भैरू पत्नी लटूर, जाति धाकड, निवासी ग्राम सुखनेरी, तहसील छीपाबडोद, जिला बारां

4— भरोसी बाई पुत्री भैरू पत्नी बजरंगलाल, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बरेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

5— बदरा पुत्र माधो, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बरेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड मृतक कायम मुकामान :—

5/1— शिवचरण दत्तक पुत्र बदरा, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बरेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

6— गोपाल पुत्र माधो, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बरेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड मृतक कायम मुकामान :—

6/1— हीरा पुत्र गोपाल, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बरेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

6/2— शिवचरण पुत्र गोपाल, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बरेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

6/3— कंचन बाई पुत्री गोपाल पत्नी कन्हैया लाल, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बरेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

7— कजोड़ी बाई पुत्री मोतीलाल पत्नी केसरी लाल, जाति धाकड़, निवासी ग्राम ठीकरिया, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

8— प्रेम बाई पुत्री मोतीलाल, पत्नी भैरूलाल, जाति धाकड़, निवासी ग्राम डूण्ड़ी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

9— स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार साहब खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

अपील संख्या 54/2018 **दायरा दिनांक : 06.04.2018**

उनवान

बिशनी बाई पुत्री धन्नालाल पत्नी जानकीलाल, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बुखारी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़ मृतक कायम मुकामान :—

1/1– भंवर लाल पुत्र बिशनी बाई, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बुखारी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

1/2– बद्रीलाल पुत्र बिशनी बाई, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बुखारी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

1/3– रामकिशन पुत्र बिशनी बाई, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बुखारी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

1/4– राम कुवार पुत्र बिशनी बाई, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बुखारी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

1/5– भूली बाई पुत्री बिशनी बाई, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बुखारी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

1/6– लाड बाई पुत्री बिशनी बाई, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बुखारी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

1/7– जानकी लाल पुत्र भैरू लाल पति बिशनी बाई, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बुखारी, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1– रामकरण पुत्र मोतीलाल, जाति धाकड़, निवासी ग्राम बरेड़ा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड

2– स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार साहब खानपुर, जिला झालावाड़

..... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री ए के जैन अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री बच्चू लाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 04.12.2018

ये दोनों अपीलें समान पक्षकारों के मध्य एवं समान प्रकृति की होने के कारण इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है ।

ये दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 789/दावा/2014 एवं 788/दावा/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 20.03.2018 एवं 02.11.2018 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील संख्या 53/2018 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रामकरण वादी ने बिशनी बाई के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह कथन किया एवं अपील संख्या 54/2018 के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रामकरण वादी ने बिशनी बाई के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह कथन किया कि ग्राम बरेडा तहसील खानपुर में नई खतौनी संख्या 99 की खसरा नम्बर 658 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 659 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 660 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 718 रकबा 5 बीघा 13 बिस्वा कुल 4 किता की 9 बीघा 16 बिस्वा आराजी एवं ग्राम बरेडा तहसील खानपुर में नई खतौनी संख्या 124 की खसरा नम्बर 629 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 630 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 631 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा,खसरा नम्बर 639 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 640 रकबा 4 बीघा, खसरा नम्बर 641 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 643 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 646 रकबा 2 बीघा कुल 8 किता की 11 बीघा 13 बिस्वा आराजी स्थित है । अपीलांट के पिता धन्ना लाल ने रेस्पोडेंट नम्बर 1 के पक्ष में कभी भी अपने जीवनकाल में वसीयत निष्पादित नहीं की थी। धन्नालाल की मृत्यु के पश्चात उसकी एक मात्र पुत्री होने के कारण नामान्तरकरण उनके पक्ष में तस्दीक कर दिया जो कानूनन एवं विधिवत रूप से सही है । इस कारण बिशनी एक मात्र वादग्रस्त आराजी की खातेदार दर्ज हुई । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं किया । अपीलांट अनपढ़ एवं गरीब महिला है उसको

राजीनामे की कोई जानकारी नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय में रामकरण एवं उसके अधिवक्ता के उपस्थित नहीं होने पर वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा 8 वर्ष पूर्व प्रस्तुत किये गये राजीनामा प्रस्तुत किया गया था जो अपीलांट को गुमराह करके प्रस्तुत किया गया था जो विधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण क्रियान्वित होने योग्य नहीं है । जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के प्रावधानों के अनुसार शून्य है । जिसके आधार पर रेस्पोडेंट नम्बर 1 वादी रामकरण का वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई सम्बन्ध नहीं है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वसीयत सादा कागज, नोटेरी द्वारा प्रमाणित एवं पंजीकृत हो तो भी उसकी लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 131 (3) के अन्तर्गत कानूनन एवं विधिवत जांच करनी चाहिए जो नहीं की गई है और अधीनस्थ न्यायालय ने अपने अधिकारों से परे जाकर डिक्री एवं निर्णय पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है । अतः दोनों अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

दोनों अपीलें प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रामकरण ने अधीनस्थ न्यायालय में धन्नालाल के मरने के बाद तथाकथित दत्तक पुत्र के आधार पर तहसीलदार खानपुर के यहां कार्यवाही की थी । अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी दस्तावेज एवं विधिक अधिकार के मृतक धन्नालाल के स्थान पर रामकरण एवं बिशनीबाई का नाम 1/2, 1/2 में स्वीकृति प्रदान करके आदेश दिनांक 19.12.1992 को पारित किया था । इसके विरूद्ध बिशनी बाई के द्वारा अतिरिक्त संभागीय आयुक्त के यहां अपील प्रस्तुत की । अतिरिक्त संभागीय

आयुक्त ने अपील स्वीकार कर तहसीलदार खानपुर को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर नियमानुसार निर्णय पारित करने हेतु अपील प्रतिप्रेषित की । तहसीलदार ने हिन्दू सेक्सशन एक्ट 1956 की धारा 8 (1) के प्रावधानों के अनुसार बिशनी बाई को एक मात्र पुत्री होने से मृतक धन्नालाल के खाते की समस्त आराजी खाते दर्ज करने की स्वीकृति दी । अधीनस्थ न्यायालय में धन्नालाल के द्वारा रामकरण के पक्ष में तथाकथित वसीयतनामे के आधार पर प्रस्तुत कर दिया, जबकि इस तरह का तथाकथित वसीयतनामा ग्राम पंचायत, तहसीलदार एवं उपखण्ड अधिकारी अकलेरा के समक्ष कभी भी प्रस्तुत नहीं किया गया, इस तरह से रेस्पोडेंट रामकरण के द्वारा उक्त प्रकरण में गोद एवं वसीयत की जो प्ली ली गई है उसे न्यायालय के समक्ष क्लीन हैण्ड से नहीं आये हैं । उक्त वाद दस्तावेज के अभाव में प्रस्तुत करने के लिए न तो लोकसस्टेन्डाई है और न ही सक्षम व्यक्ति है । बिशनी बाई एक वृद्ध एवं अनपढ़ महिला है जो कानून की प्रक्रिया से पूर्णतया अनभिज्ञ है । तथाकथित राजीनामा बिना विधिक प्रावधानों के तहत दिनांक 06.06.2001 को प्रस्तुत कर दिया और उक्त वाद को जानबूझकर स्वयं की एवं एडवोकट की गैर हाजिरी में दिनांक 15.06.2002 को खारिज करवा दिया और फिर 8 वर्ष पूर्व अचानक रेस्टोरेशन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । राजीनामा आर्डर 23 नियम 3 के प्रावधानों के विपरीत होने से एवं अवैधानिक तथा पब्लिक पॉलिसी के विरूद्ध होने के कारण उक्त तथाकथित राजीनामा इनफोर्सेबल नहीं है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री कानूनन मेंटेनेबल नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । अपने पक्ष के समर्थन में आर एल डब्ल्यू 1996 (1) पेज 30, आर एल डब्ल्यू 2015 (2) पेज 1438, आर एल डब्ल्यू 2017 (1) पेज 30, आर आर डी 2018 पेज 23, आर आर डी 2018 पेज 707, सी पी सी आर्डर 23(3) पेज 362 हिन्दू मेरिज एक्ट 8(1) पेज 348, एल आर एक्ट 1956 धारा 131(3) पेज 385 उद्धरत की ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अपीलांट अपने दावे को सिद्ध नहीं कर पाया है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत रूप से निर्णय पारित किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया था अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 11.06.2001 को रामकरण व बिशनीबाई पुत्री धन्नालाल द्वरा एक राजीनामा मिसल नम्बर 1823/97 में पेश किया तथा राजीनामे के अनुसार खसरा नम्बर 718 की 3 बीघा 17 बिस्वा रामकरण की रहेगी व खसरा नम्बर 658 की 1 बीघा 6 बिस्वा व खसरा नम्बर 659 की 1 बीघा 7 बिस्वा व खसरा नम्बर 660 की 1 बीघा 10 बिस्वा व खसरा नम्बर 718 की 1 बीघा 16 बिस्वा कुल 5 बीघा 19 बिस्वा बिशनीबाई की रहेगी । राजीनामे पर बिशनीबाई व रामकरण दोनों के हस्ताक्षर है । राजीनामा दिनांक 26.09.2001 को उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष पढ़कर तस्दीक किए हुए हैं । न्यायालय द्वारा उक्त राजीनामे को सही मानकर तस्दीक किया गया है जो पत्रावली में शामिल है । निर्णय दिनांक 16.06.1981 में भी इस बात का उल्लेख है कि मृतक धन्ना ने रामकरण को वारिस बनाने की एक तहरीर लिखी थी जो दिनांक 19.08.1978 को पंचायत बरेड़ा द्वारा तस्दीक की गई । ग्राम पंचायत बरेड़ा द्वारा नामान्तरकरण आदेश दिनांक 28.11.1978 को पारित किया गया उस दिन अपीलांट बिशनीबाई स्वयं व रामकरण उपस्थित थे तथा दोनों के मध्य मृतक धन्ना की आराजी पर बराबर बॉटने का समझौता पंचायत कोरम के समक्ष हुआ अंकित किया गया है तथा उसी अनुसार परगना अधिकारी द्वारा आदेश भी दिया गया । उक्त आदेश भी पत्रावली में शामिल मिसल है । इस प्रकरण अपीलांट द्वारा मजिस्ट्रेट व पंचायत के समक्ष किए गए राजीनामे में अब इंकार करना सद्भाविक नहीं है । अपीलांट द्वारा जानकारी का अभाव होना गलत है क्योंकि अपीलांट बिशनीबाई स्वयं की राजीनामे के दौरान ग्राम पंचायत व उपखण्ड मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थिति

दर्ज है । राजीनामे के पश्चात् अपील का कोई आधार नहीं है । सी पी सी के प्रावधानों में भी अपील मेंटेनेबल नहीं है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें अपील संख्या 53/2018 एवं 54/2018 अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती हैं । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व प्रारिम्भक डिक्री दिनांक 20.03.2018 एवं निर्णय व डिक्री दिनांक 02.11.2018 यथावत रखे जाते हैं ।

निर्णय आज दिनांक 04.12.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा